



दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/644

07.11. 2025

प्रति

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य / सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: भारत में सीमा शुल्क प्रविष्टियों के स्वैच्छिक संशोधन के लिए नए विनियमों के संबंध में, जिन्हें सीमा शुल्क (निकासी के बाद प्रविष्टियों का स्वैच्छिक संशोधन) विनियम, 2025 कहा जाता है।

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि सीबीआईसी ने भारत में सीमा शुल्क प्रविष्टियों के स्वैच्छिक संशोधन के लिए नए विनियमों के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है, जिसे सीमा शुल्क (मंजूरी के बाद प्रविष्टियों का स्वैच्छिक संशोधन) विनियम, 2025 कहा जाता है, जो 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होगा।

ये विनियम आयातकों, निर्यातकों या अधिकृत सीमा शुल्क दलालों को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18ए के तहत मंजूरी के बाद प्रवेश बिल, शिपिंग बिल, निर्यात बिल या अन्य सीमा शुल्क रिकॉर्ड में प्रविष्टियों को स्वेच्छा से संशोधित करने की अनुमति देते हैं।

कृपया विस्तृत अधिसूचना यहां देखें:

https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20251103044937.pdf

सादर,

प्लेक्सकौन्सिल टीम